रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1976/ज्येष्ठ 21, 1898
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1976/JYAISTHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June 1976

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Defence and Internal Security of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence and Internal Security of India (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, after rule 31, the following rule shall be inserted, namely,—

"31A. **Restriction of movements of suspected persons and restriction orders.**—(1) The Central Government or the State Government, if it is satisfied with respect to any particular person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defence of India and civil defence, the internal security, the public safety, the maintenance of public order, India's relations with foreign powers, the maintenance of peaceful conditions in any part of India, the efficient conduct of military operations or the maintenance

of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary so to do, may make an order—

(a) directing that, except in so far as he may be permitted by the provisions of the order or by such authority or person as may be specified therein, he shall not enter or be in any such area or place in India as may be specified in the order;

(b) requiring him to reside or remain in such place or within such area in India as may be specified in the order or if he is not already there to proceed to that place or area within such time, by such route, in such manner and in accordance with such other directions as may be specified in the order;

(c) requiring him to notify his movements or to report himself or both to notify his movements and report himself in such manner at such times and to such authority or persons as may be specified in the order;

(d) imposing upon him such restrictions as may be specified in the order in respect of his employment or business, in respect of his association or communication with other persons, and in respect of his activities in relation to the dissemination of news or propagation of opinions;

(e) otherwise regulating his conduct in such particular as may be specified in the order:

Provided that no order shall be made by the State Government under clause (a) of this sub-rule directing that any person ordinarily resident in the State shall not be in the State.

(2) An order made under sub-rule (1) may require the person in respect of whom it is made to enter into a bond, with or without sureties, for the due performance of, or as an alternative to the enforcement of, such restrictions or conditions made in the order as may be specified in the order.

(3) If any person is in any area or place in contravention of an order made under the provisions of this rule, or fails to leave any area or place in accordance with the requirements of such an order, then, without prejudice to the provisions of sub-rule (4), he may be removed from such area or place by any police officer or by any person acting on behalf of Government.

(4) If any person contravenes any order made under this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both, and if such person has entered into a bond in pursuance of the provisions of sub-rule (2) his bond shall be forfeited, and any person bound thereby shall pay the penalty thereof, or show cause to the satisfaction of the convicting Court why such penalty should not be paid.".

[No. F. II/16012/1/76-S&P(D.II)]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1976

सा०का०नि० 396 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 में, नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"31 क. **संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निर्बन्धन और निर्बन्धन आदेश**—(1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में, उसे भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, लोक रक्षा, लोक शांति बनाए रखने, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध, भारत के किसी भाग में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने, सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन या सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाए रखने पर किसी रीति से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने से निवारित करने के उद्देश्य से, ऐसा करना आवश्यक है तो वह निम्नलिखित आदेश कर सकती है, अर्थात् :—

(क) इस प्रकार का निदेश कि, सिवाय वहां तक जहां तक कि आदेश के उपबंधों द्वारा, अथवा ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञात किया जाए, संदिग्ध व्यक्ति भारत में किसी ऐसे क्षेत्र या स्थान में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रवेश नहीं करेगा या विद्यमान नहीं रहेगा ;

(ख) ऐसी अपेक्षा कि संदिग्ध व्यक्ति भारत में ऐसे स्थान में या ऐसे क्षेत्र के भीतर निवास करेगा या रहा जाएगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या यदि वह वहां पहले से नहीं है तो उस स्थान या क्षेत्र के लिए ऐसे समय के भीतर, ऐसे मार्ग से, ऐसी रीति में और ऐसे निदेशों के अनुसार जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जायें, अग्रसर हो जाए;

(ग) ऐसी अपेक्षा कि संदिग्ध व्यक्ति ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जायें, अपनी गतिविधियों को अधिसूचित करे या उसके समक्ष स्वयं उपस्थित हो अथवा गतिविधियों को अधिसूचित भी करे और स्वयं उसके समक्ष उपस्थित भी हो ?

(घ) संदिग्ध व्यक्ति पर ऐसे निर्बन्धनों का अधिरोपण जो उसके नियोजन या कारोबार के संबंध में, या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क के संबंध में, और समाचारों के फैलाने या अभिमतों का प्रचार करने से संबंधित उसके कार्यकलापों के संबंध में, आदेश में विनिर्दिष्ट किए जायें ;

(ङ) ऐसी विशिष्ट बातों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, उसके आचरण का अन्यथा विनियमन;

परन्तु इस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सामान्यतया राज्य का निवासी है, यह निदेश दिया जाए कि वह राज्य में नहीं रहेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश में उस व्यक्ति से, जिसके सम्बन्ध में आदेश किया जाता है, यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित एक बन्धपत्र, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, सम्यक रूप से अनुपालन करने के लिए, अथवा विकल्पतः उनके प्रवर्तित किए जाने के लिए, करे ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के उपबंधों के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी क्षेत्र या स्थान में है, अथवा ऐसे आदेश की अपेक्षाओं के अनुसरण में ऐसे क्षेत्र या स्थान को छोड़ने में चूक करता है, तो उप-नियम (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस आफ़िसर द्वारा अथवा सरकार की ओर से इस निमित्त कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र या स्थान से हटाया जा सकता है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा, तथा यदि ऐसा व्यक्ति उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसरण में किसी बन्धपत्र से आबद्ध है तो उसका बन्धपत्र समपहृत किया जाएगा, और उससे आबद्ध कोई व्यक्ति उसको शास्ति का संदाय करेगा, अथवा सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप से यह हेतुक दर्शित करेगा कि ऐसी शास्ति का संदाय क्यों नहीं किया जाए ।"

[सं० फा० II/16012/1/76-एस० एण्ड० पी० (डी०II.)]।

सी० वी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1976